

31/01/25 पत्रावली फेरा हुई। पत्रावली में न्यायालय
समय में वकील अधिवक्ता व वादी को तीन
वार आवाज दिलवायी गई। परन्तु कोई
अपेक्षित नहीं होने से से वादी का वाद
जरीये अदम हाजरी एवं अदम पैरवी
में खारीज किया जाता है पत्रावली फेरवल
शुमार होकर हाखिल इफतर हो है